"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 85] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 29 मार्च, 2011 (चैत्र 8, 1933)

क्रमांक-4701/वि. स./विधान/2011.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2011), जो दिनांक 29 मार्च, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 8 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011

छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे.

धारा 3 का संशोधन.

2. (एक) छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 3 में, उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"3 (1-क) "तुलन पत्र" से अभिप्रेत है, धारा 120-ख के अधीन तैयार किया गया तुलन पत्र."

(दो) उप-धारा (5-ख) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धाराएं अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"(5-ग) "कालोनाईजेशन" से अभिप्रेत है, प्रत्यक्ष या परोक्ष ढंग से ऐसे कृत्य करना जिनका उद्देश्य कालोनी की स्थापना करना, इस हेतु कृषि भूमि सहित अन्य भूमि का विकास करना, भूमि को भू-खंडों में विभाजित करना, ताकि ऐसे भू-खंडों को ऐसे व्यक्तियों को अंतरित किया जा सके जो इन पर आवासीय या गैर आवासीय या संयुक्त भवनों का निर्माण करना चाहते हों.

(5-घ) "कालोनाईजर" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) के अधीन गठित विकास प्राधिकरण, रजिस्ट्रार, फर्म्स एण्ड सोसाइटी या रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी द्वारा पंजीकृत कोई सोसाइटी या सहकारी सोसायटी या कोई अन्य पंजीकृत संस्था जिसमें सम्मिलित है, कोई ऐसा व्यक्ति या संस्था जो कृषि भूमि सहित किसी अन्य भूमि को भू-खंडों या समूह आवास (ग्रुप हाउसिंग) में विभाजित करने के प्रयोजन के लिये उस क्षेत्र का विकास करते हुए कालोनी की स्थापना का काम हाथ में लेने का आशय रखता है और ऐसे भू-खंडों पर आवासीय या गैर आवासीय या संयुक्त आवासीय सन्निर्माण कर बसने की वांछा रखने वाले व्यक्तियों को अंतरित करने का आशय रखता है और जो अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा कालोनाइजर के रूप में पंजीकृत है.

(5-ङ) "कालोनी" से अभिप्रेत है, विद्यमान भू-खंड से ऐसा विभाजित क्षेत्र जिसमें मूलभूत सेवाएं जैसे-सड़क, पानी, बिजली, जल-मल निकासी इत्यादि निवासियों को उपलब्ध करा दी गई है तथा जिसमें समूह आवास तथा संयुक्त आवास निर्माण सम्मिलित है.

परंतु, ऐसे भू-खंड जो परिवार के सदस्यों ने आपस में बांट लिया हो, इस परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएंगे. तथापि, यह सामूहिक आवास तथा संयुक्त आवास की परिभाषा में आएंगे.

स्पष्टीकरण :— "परिवार से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 में यथा परिभाषित परिवार."

(तीन) उप-धारा (10-ख) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(10-ग) "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया गया व्यक्तियों का वर्ग."

(चार) उप-धारा (16) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(16-क) "निम्न आय वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया गया व्यक्तियों का वर्ग."

(पांच) मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (39) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(40) "वर्ष" से अभिप्रेत है, वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन से शुरु होने वाला वित्तीय वर्ष."

3. मूल अधिनियम की धारा 117 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात् :— नई धाराएं 117-क, 117-ख, 117-ग, 117-घ का अंत:स्थापन.

"117-क. **गरीबों की सेवा निधि.**—

(1) प्रत्येक नगरपालिका परिषद् तथा नगर पंचायत में गरीबों तथा गंदी बस्तियों में रहने वालों को सेवायें प्रदान करने के लिये एक पृथक निधि की स्थापना की जाएगी, जो "गरीबों की सेवा निधि" कहलाएगी. यह निधि निम्नलिखित से बनेगी—

(एक) सभी राशि जो किसी भाड़ा, कर, जुर्माना, उपकर, द्वारा किसी व्यक्ति या गंदी बस्ती में स्थित किसी संपत्ति से प्राप्त हो;

(दो) गन्दी बस्ती के विकास हेतु केन्द्रीय/राज्य शासन या अन्य किसी भी एजेन्सी से प्राप्त अनुदान;

(तीन) धारा 339-ख के अंतर्गत प्राप्तियाँ;

(चार) किसी भी एकल व्यक्ति या व्यक्तियों के संगठन से गरीबों के सेवार्थ प्राप्त अनुदान या दान या जमा राशि;

(पांच) इस निधि हेतु विनिर्दिष्टत: किसी भी समिति द्वारा या उसकी ओर से या अन्य किसी स्त्रोत से प्राप्त समस्त राशियाँ;

(छ:) इस निधि के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पर्याप्त नीतियों को सुनिश्चित करने हेतु लेखा के विनिर्दिष्ट प्रधान शीर्ष के अंतर्गत् नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत, जैसी भी स्थिति हो, से प्राप्त कोई निधि जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा अंतरित की जा सके.

117-ख. "गरीबों की सेवा निधि" बैंक में एक पृथक बचत खाता के रूप में संधारित की जाएगी.

117-ग. **"गरीबों की सेवा निधि" का उपयोग.**—

(1) इस निधि का उपयोग गरीबों तथा गन्दी बस्तियों के निवासियों की सेवाओं के प्रवर्तन हेतु किया जाएगा तथा नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत, जैसी भी स्थिति हो, कम से कम यह सुनिश्चित करेगा कि—

(एक) कुल राजस्व की प्राप्तियों का 20%;

(दो) राजस्व व्यय का 20%; या

(तीन) कुल पूंजीगत व्यय का 25%,

इसमें जो भी सर्वाधिक उपगत हो, वह गरीबों तथा गन्दी बस्तियों के निवासियों की सेवा के परिदान पर प्रतिवर्ष उपयोग किया जाएगा.

स्पष्टीकरण :— इस धारा के प्रयोजनार्थ "सेवा" में सम्मिलित है मूल पर्यावरणीय सेवायें, सड़क, प्राथमिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य, आवास, जल आपूर्ति, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा तथा ऐसी समतुल्य सेवाएं. तथापि, इसमें स्थापना व्यय (जिसमें वेतन तथा मजदूरी शामिल हैं) जो उन सेवाओं को प्रदाय करने में प्रत्यक्ष तथा विनिर्दिष्टत: संबंधित नहीं है, शामिल नहीं होगा.

117-घ. वित्तीय वर्ष के अन्त में "गरीबों की सेवा निधि" में, यदि कोई, राशि शेष हो, तो यह राशि व्यपगत नहीं होगी."

नयी धाराएं 119-क एवं 119-ख का अंत:स्थापन.

4. मूल अधिनियम की धारा 119 के पश्चात्, निम्नलिखित नयी धाराएं अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"119-क. **लेखाओं का संधारण.**— मुख्य नगरपालिका अधिकारी, परिषद् के आय, व्यय, आस्तियों तथा दायित्वों का लेखा ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति में तैयार तथा संधारित करेगा जैसा कि धारा 119-ख के अंतर्गत तैयार की गई पुस्तिका में विहित की जाएं.

119-ख. **नगरपालिका लेखा पुस्तिका का तैयार करना.**— राज्य सरकार, एक पुस्तिका निर्धारित तथा संधारित करेगी, जो छत्तीसगढ़ नगरपालिका लेखा पुस्तिका कहलाएगी, जिसमें नगरपालिका निकायों के संबंध में उससे सम्बद्ध सभी वित्तीय विषयों और प्रक्रियाओं का विवरण अंतर्विष्ट होगा."

नयी धाराएं 120-क, 120-ख तथा 120-ग का अन्त:स्थापन.

5. मूल अधिनियम की धारा 120 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धाराएं अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"120-क. **वित्तीय विवरण.**— मुख्य नगरपालिका अधिकारी, वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से चार माह के भीतर, एक वित्तीय वितरण तैयार कराएगा, जिसमें परिषद् के संबंध में वित्तीय वर्ष के लिये आय तथा व्यय लेखा तथा प्राप्तियां एवं अदायगी अंतर्विष्ट होगी. वित्तीय विवरण का प्ररूप तथा जिस रीति से वित्तीय विवरण तैयार किया जाएगा, ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाये.

120-ख. **तुलन पत्र.**— मुख्य नगरपालिका अधिकारी, वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से चार माह के भीतर, परिषद् की आस्तियों और दायित्वों का तुलन पत्र तैयार कराएगा. तुलन पत्र का प्ररूप तथा तुलन पत्र जिस रीति से तैयार किया जाएगा, ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाये.

120-ग. **संपरीक्षक को वित्तीय विवरण और तुलन पत्र प्रस्तुत करना.**— धारा 120-क के अधीन तैयार किये गये वित्तीय विवरण और धारा 120-ख के अधीन तैयार किये गये तुलन पत्र को मुख्य नगरपालिका अधिकारी, परिषद् सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगा जो उसके परीक्षण के उपरान्त यथावत् अंगीकार करेगी और उन्हें संपरीक्षक को भेज देगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाये."

नयी धाराएं 121 (1-क) एवं 121 (2-क) का अंत:स्थापन.

6. मूल अधिनियम की धारा 121 की उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धाराएं अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"121 (1—क). **संपरीक्षक की शक्ति.**— धारा 121 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त संपरीक्षक :

(क) लिखित सूचना द्वारा, अपने समक्ष अथवा अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी के समक्ष, ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जिसे वह संपरीक्षा के उचित संचालन हेतु आवश्यक समझे;

(ख) लिखित सूचना के द्वारा, किसी दस्तावेज, रोकड़ अथवा सामग्री की अभिरक्षा अथवा नियंत्रण हेतु किसी उत्तरदायी व्यक्ति अथवा रखने वाले व्यक्ति से, अपने समक्ष अथवा अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकेगा;

(ग) अपने समक्ष अथवा अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी के समक्ष, इस प्रकार उपस्थित हो रहे किसी व्यक्ति से, ऐसे दस्तावेज, रोकड़ अथवा सामग्री के संबंध में घोषणा पर हस्ताक्षर करने अथवा किसी प्रश्न का उत्तर देने अथवा कोई विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा; और

(घ) लेखा के परीक्षण के दौरान सामग्री के किसी स्टॉक और नियत आस्तियों और अधोसंरचनात्मक आस्तियों का भौतिक सत्यापन करा सकेगा.

121 (2—क). **परिषद् सभा के समक्ष संपरीक्षित लेखाओं का रखा जाना.**— मुख्य नगरपालिका अधिकारी, संपरीक्षित वित्तीय विवरण, तुलन-पत्र तथा संपरीक्षक का प्रतिवेदन तथा उस पर उसकी टिप्पणियां, परिषद् सभा के समक्ष रखेगा."

7. मूल अधिनियम की धारा 121 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धाराएं अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात् :— नयी धाराएं 121-क एवं 121-ख का अंत:स्थापन.

"121-क. **विशेष संपरीक्षण.**— वार्षिक लेखाओं के संपरीक्षण के अतिरिक्त, राज्य सरकार अथवा परिषद्, यदि उपयुक्त समझे, विनिर्दिष्ट मद अथवा मदावली, जिनका पूर्ण परीक्षण अपेक्षित हो, से संबद्ध विशेष संपरीक्षण के संचालन के लिए, संपरीक्षक नियुक्त कर सकेगी और संपरीक्षण से संबंधित प्रक्रिया, आवश्यक परिवर्तन सहित ऐसे विशेष संपरीक्षण पर लागू होगी.

121-ख. **आंतरिक संपरीक्षण.**—राज्य सरकार अथवा परिषद्, परिषद् के दैनंदिन लेखा के आंतरिक संपरीक्षण हेतु उपबंध कर सकेगी."

8. मूल अधिनियम की धारा 122 के पश्चात्, निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :— नयी धारा 122-क का अंत:स्थापन.

"122-क. **राज्य सरकार को संपरीक्षित खातों की प्रस्तुति.**— मुख्य नगरपालिका अधिकारी, अंगीकृत वित्तीय विवरण, तुलन पत्र एवं संपरीक्षक के प्रतिवेदन की प्रति, नगरपालिका द्वारा उस पर की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा और इसकी प्रतियां संपरीक्षक को भी भेजेगा."

9. अध्याय 5 के पश्चात्, निम्नलिखित नया अध्याय 5-क अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :— अध्याय 5-क लोक प्रकटीकरण विधि, धारा 122-ख का अंत:स्थापन.

अध्याय 5-क

"122-ख. **जानकारियों का लोक प्रकटन.**—

(1) प्रत्येक नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत, अपने समस्त अभिलेखों को, जो सम्यक् रूप से सूचीबद्ध और अनुक्रमणिकाबद्ध हों, ऐसी रीति तथा प्ररूप में संधारित तथा प्रकाशित करेगा, जो नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत, जैसी भी स्थिति हो, को इस धारा के अधीन जनसामान्य हेतु अपेक्षित जानकारी प्रकट करने के लिये समर्थ बनाए.

(2) जानकारी के प्रकटन की रीति, उसकी आवर्तिता तथा रूपविधान (फार्मेट) ऐसा होगा, जैसा कि विहित किया जाए."

10. मूल अधिनियम की धारा 307 में उप-धारा (1) के खंड (ख) में, अंक "251" के पश्चात् शब्द "तथा" के स्थान पर कॉमा "," अन्त:स्थापित किया जाए तथा अंक 285 के पश्चात्, अंक एवं शब्द "तथा 339-क" अंत:स्थापित किया जाए. अधिनियम की धारा 307 का संशोधन.

11. मूल अधिनियम की धारा 322 में शब्द "संचालक नगरीय नियोजन एवं विकास" के स्थान पर शब्द "संभागीय आयुक्त" प्रतिस्थापित किया जाए. अधिनियम की धारा 322 का संशोधन.

12. मूल अधिनियम की धारा 323 की उपधारा (1) में, शब्द "संचालक नगरीय नियोजन एवं विकास" के स्थान पर शब्द "संभागीय आयुक्त" प्रतिस्थापित किया जाए. अधिनियम की धारा 323 का संशोधन.

अधिनियम की धारा 331 का संशोधन.

13. मूल अधिनियम की धारा 331 की उप-धारा (1) एवं (2) में, शब्द "संचालक नगरीय नियोजन एवं विकास" के स्थान पर शब्द "संभागीय आयुक्त" प्रतिस्थापित किया जाए.

अधिनियम की धारा 332 का संशोधन.

14. मूल अधिनियम की धारा 332 की उप-धारा (1) में, शब्द "संचालक नगरीय नियोजन एवं विकास" के स्थान पर शब्द "संभागीय आयुक्त" प्रतिस्थापित किया जाए.

धाराएं 339-क, 339-ख, 339-ग, 339-घ, 339-ङ, 339-च का अंत:स्थापन.

15. मूल अधिनियम की धारा 339-क, 339-ख, 339-ग, 339-घ, 339-ङ, 339-च में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"339-क. **कालोनी निर्माण करने वाले या भवन निर्माता का पंजीकरण.—**

(1) कोई व्यक्ति जो—

(क) कालोनी का निर्माण करने वाले कर्ता की हैसियत से नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत के क्षेत्र में, किसी भूमि को भू-खण्ड में विभाजित करने के प्रयोजन के लिये उस क्षेत्र का विकास करते हुए या विकास न करते हुए कालोनी या कालोनियों की स्थापना हाथ में लेने का आशय रखता है, ऐसे व्यक्तियों को जो इन भू-खंण्डों पर आवासीय या गैर-आवासीय या संयुक्त आवास् का निर्माण कर बसने की वांछा रखते हैं, क्रमश: या एक साथ अन्तरण करता है या अन्तरण करने का करार करता है; या

(ख) भवन निर्माता की हैसियत से नगरपालिका क्षेत्र या नगर पंचायत क्षेत्र में किसी भूमि पर चाहे वह उसकी हो या अन्य किसी व्यक्ति की हो, स्वतंत्र भवन या एकल भवन, प्रकोष्ठ (अपार्टमेंट) के साथ सन्निर्माण करता है या सन्निर्मित करवाता है या विद्यमान भवन या ऐसे भवन के किसी भाग को प्रकोष्ठ (अपार्टमेन्ट) में परिवर्तित करता है या परिवर्तित करवाता है, तो उन सभी के या उनमें कुछ के अपने परिवार के सदस्यों से भिन्न अन्य व्यक्तियों को जिसमें समनुदेशिती भी सम्मिलित है, विक्रय द्वारा या अन्यथा अंतरण के प्रयोजन के लिये पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिये मुख्य नगर पालिका अधिकारी को आवेदन करेगा.

छूट :— छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) के अधीन गठित शहरी विकास प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गठित अन्य निकायों को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनिवार्यता से छूट होगी.

(2) उप-धारा (1) के अधीन पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी, इस निमित्त बनाए गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, तीस दिन के भीतर या तो पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा या जारी करने से इंकार करेगा:

परन्तु, यदि मुख्य नगरपालिका अधिकारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने से इंकार करता है तो इंकार करने के कारण आवेदक को सूचित किए जाएंगे.

परन्तु यह और कि, कोई अपील धारा 307 के अधीन गठित अपील समिति के समक्ष मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा पंजीकरण हेतु आवेदन के नामंजूर होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर फाइल की जा सकेगी.

(3) राज्य सरकार को, पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिये नियम बनाने की शक्ति होगी जिनमें आवेदन का प्ररूप, पंजीकरण के लिये फीस की रकम तथा अन्य निर्बंधन तथा शर्तें विहित की जाएंगी.

(4) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उप-धारा (2) के अधीन पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत, जैसी भी स्थिति हो, के क्षेत्र में एक या एक से अधिक कालोनियां स्थापित करने का पात्र होगा और उसे पृथक से प्रत्येक कालोनी के संबंध में पंजीकरण प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन करना अपेक्षित नहीं होगा, किन्तु ऐसे व्यक्ति के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह प्रत्येक कालोनी के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से अभिन्यास (ले-आउट) योजना का अनुमोदन तथा अन्य समस्त अनुमोदन पृथकत: अभिप्राप्त करे.

(5) कालोनी के विकास के किसी भी पहलू या कार्य या घटक की अनुज्ञा अथवा स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति रखने वाला कोई भी अधिकारी ऐसी अनुज्ञा अथवा स्वीकृति प्रदान करने हेतु किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत विचार नहीं करेगा, जब तक कि आवेदन इस धारा में यथा अपेक्षित मान्य पंजीयन प्रमाण-पत्र सहित न हो.

339-ख. **कालोनियों का विकास.—**

(1) धारा 339-क के अधीन प्रदान किये गये पंजीयन प्रमाण-पत्र से कालोनी निर्माता, नगरपालिका क्षेत्र या नगर पंचायत क्षेत्र जैसी भी स्थिति हो, में एक या अधिक कालोनियों का विकास हाथ में लेने के लिये इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए तथा निम्नलिखित शर्तों पर हकदार होगा :—

(क) नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत क्षेत्र की प्रत्येक आवासीय कालोनी में, कालोनी निर्माता द्वारा भूमि का कुल पंद्रह प्रतिशत क्षेत्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये मुख्य नगरपालिका अधिकारी को ऐसी शर्तों पर तथा ऐसी से हस्तांतरित करना होगा, जैसा कि विहित किया जाए.

(ख) ऐसी भूमि के संबंध में जिस पर कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनिमयन) अधिनियम, 1976 लागू हो, तो कालोनी निर्माता को खंड (क) के अंतर्गत यथा अपेक्षित भू-भाग मुख्य नगरपालिका अधिकारी को हस्तांतरित करना होगा.

(ग) जहां कालोनी ऐसे छोटे भू-खण्ड पर प्रस्तावित है, जिसका रकबा एक एकड़ से कम है, तो ऐसे कालोनाईजर जो खण्ड (क) में यथा अपेक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भूमि प्रदान नहीं करना चाहते हो, उन्हें नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा धारा 117-क की शर्तों में स्पष्ट किए गए "गरीबों की सेवा निधि" में ऐसे मान से शुल्क जमा करना होगा, जैसा कि विहित किया जाए.

(2) उप-धारा (1) के अधीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये भू-भाग हस्तांतरित करने के अतिरिक्त, कालोनाइजर अपनी आवासीय कालोनी में निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को निर्धारित शर्तों पर विक्रय के लिये कम से कम दस प्रतिशत विहित आकार के पूर्ण विकसित भू-खण्ड भी आरक्षित रखेगा या सन्निर्मित आवासीय मकान/प्रकोष्ठ भवन देने का वैकल्पिक प्रस्ताव करेगा.

(3) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग के लिये मकानों के विक्रय हेतु पात्र व्यक्तियों के चयन के लिये प्रक्रिया और ऐसे भू-खंड या मकानों की लागत का अवधारण ऐसा होगा, जैसा कि शासन द्वारा विहित किया जाये.

(4) कालोनी विकास हेतु अनुज्ञा मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा दी जायेगी और मुख्य नगरपालिका अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध अपील राज्य सरकार को होगी.

339-ग. **अवैध कालोनी निर्माण के लिये दण्ड.—**

(1) कालोनी निर्माण करने वाला या अन्य कोई व्यक्ति, जो छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 172 के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का अतिक्रमण करके किसी भूमि या उसके भाग को व्यपवर्तित करता है, वह भूमि के अवैध व्यपवर्तन का अपराध करता है.

(2) कालोनी निर्माण करने वाला या अन्य कोई व्यक्ति, जो कालोनी स्थापित करने के उद्देश्य से, अपनी भूमि को या किसी अन्य व्यक्ति की भूमि को, इस अधिनियम या इस संबंध में बनाए गये नियमों में अन्तर्विष्ट उपबंधों को भंग करके भू-खंडों में विभाजित करता है, वह अवैध कालोनी निर्माण का अपराध करता है.

(3) जो कोई अवैध व्यपवर्तन का या अवैध कालोनी निर्माण का अपराध करेगा या उसके किये जाने का दुष्प्रेरण करेगा वह कम से कम तीन वर्ष और अधिक से अधिक सात वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम एक लाख रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा और ऐसे किसी अपराध के संबंध में निर्णय पारित करने में न्यायालय, अभियुक्त को, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत, जैसी भी स्थिति हो, को प्रतिकर की ऐसी राशि का भुगतान करने का आदेश दे सकेगा जैसी कि वह ऐसी अवैध कालोनी के विकास के लिये उपगत होने वाली अपेक्षित राशि पर विचार कर लेने के पश्चात् निर्णय में विनिर्दिष्ट करे.

(4) जो कोई अवैध व्यपवर्तन के या अवैध कालोनी निर्माण के किसी क्षेत्र में कोई भवन सन्निर्मित करता है, वह अवैध सन्निर्माण का अपराध करता है.

(5) जो कोई अवैध सन्निर्माण का अपराध करेगा, वह कम से कम तीन वर्ष और अधिक से अधिक सात वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम एक लाख रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा.

(6) प्रत्येक कालोनाइजर को सन्निर्माण हेतु प्रस्तावित आवासीय इकाईयों के क्षेत्र [जिसमें कुर्सी क्षेत्र (कारपेट एरिया) भी सम्मिलित है] तथा पर्चों, विवरणिकाओं, होर्डिंग के प्ररूप में प्रकाशित अपने समस्त विज्ञापनों में कालोनी में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं तथा ग्राहकों को दी जाने वाली समस्त संसूचनाओं के बारे में सही जानकारी प्रदर्शित करना आवश्यक होगा तथा इसके ऊपर वह उसके पंजीयन प्रमाण-पत्र के क्रमांक तथा दिनांक का सुव्यक्त रूप से उल्लेख करेगा तथा इन उपबंधों का कोई अतिक्रमण ऐसे कालोनाइजरों को उप-धारा (3) तथा उप-धारा (5) के अधीन दण्ड का भागी बनाएगा.

(7) इस धारा के प्रयोजनार्थ, किसी भी अपराध के संबंध में दायित्व संयुक्त तथा पृथक आधार पर निदेशकगण, प्रमोटर तथा वित्तीय सहायता प्रदानकर्ता का होगा.

339-घ. **भूमि के अवैध व्यपवर्तन या अवैध कालोनी निर्माण के अपराध का दुष्प्रेरण करने के लिये दण्ड.—** जो कोई अवैध कालोनी निर्माण के क्षेत्र में—

(क) भवन के सन्निर्माण के लिये अभिन्यास (ले-आउट) मंजूर करने या नक्शा मंजूर करने की शक्ति रखने वाला अधिकारी होते हुए, ऐसा अभिन्यास या नक्शा मंजूर या अनुमोदित करेगा; या

(ख) विद्युत या जल प्रदाय संयोजन (कनेक्शन) मंजूर करने के लिये सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी होते हुए, ऐसे किसी क्षेत्र में किसी भी भवन के संबंध में ऐसे संयोजन की मंजूरी देगा; या

(ग) ऐसा अधिकारी होते हुए, जिसका प्राथमिक कर्तव्य ऐसा करना हो, भूमि के अवैध व्यपवर्तन की रिपोर्ट करने का जानबूझकर लोप करेगा; या

(घ) ऐसा अधिकारी या ऐसा कर्मचारी होते हुए भी जो भूमि के अवैध व्यपवर्तन के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये उत्तरदायी है, कार्यवाही करने में असफल रहता है; या

(ङ) पूर्वोक्त अधिकारियों पर, ऐसी मंजूरी देने के लिये या भूमि के ऐसे अवैध व्यपवर्तन की रिपोर्ट का लोप करने के लिये अवैध रूप से असर डालेगा, वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो न्यूनतम दस हजार रुपये तथा अधिकतम पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा :

परन्तु खण्ड (ख) में अंतर्विष्ट कोई भी बात उन मामलों को लागू नहीं होगी, जहां मुख्य नगरपालिका अधिकारी यह प्रमाणित करता है कि अवैध व्यपवर्तन या अवैध कालोनी निर्माण करने के क्षेत्र में भवन को विद्युत तथा जल प्रदाय संयोजन उपलब्ध करने में लोकहित में कोई आपत्ति नहीं है.

339-ङ. समस्त निदेशक, संप्रवर्तक तथा वित्त पोषक (फाइनेंसर), जो अवैध कालोनी निर्माण या भूमि के अवैध व्यपवर्तन के कृत्य में ऐसे व्यक्ति के साथ सहयुक्त है; जो ऐसे अवैध कालोनी निर्माण या अवैध व्यपवर्तन का अपराध करता है या उसका दुष्प्रेरण करता है, ऐसे अपराध को कारित करने के लिये समान रूप से दायित्वाधीन होंगे तथा धारा 339-ग के उपबंधों के अधीन दण्डित किये जाएंगे.

339-च. **अवैध कालोनी निर्माण की भूमि का प्रबंध मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा ग्रहण किया जाना.**—

(1) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कालोनी निर्माण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अवैध व्यपवर्तन के या अवैध कालोनी निर्माण के किसी क्षेत्र में भूखण्डों का किया गया कोई अंतरण या अंतरण का कोई करार शून्य होगा.

(2) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, अवैध कालोनी निर्माण की भूमि का प्रबंध ग्रहण करने के प्रयोजन के लिये स्थानीय समाचार पत्रों में तीन बार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवायेगा. ऐसी सूचना के प्रकाशन के पश्चात् यदि किसी कालोनी निर्माण करने वाले व्यक्ति या भू-खंड धारक से कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी, द्वारा उस पर विचार किया जायेगा और यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ऐसी भूमि का प्रबंध ग्रहण करेगा और उस क्षेत्र की योजना बनवायेगा तथा उसे ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए विकसित करवायेगा जैसी कि विहित की जाये.

(3) शर्तों की पूर्ति हो जाने पर आवंटिती के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह भू-खंड का विधिमान्य अंतरिती है, और भू-खंड के प्रबंधक के रूप में मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियां समाप्त हो जायेंगी."

16. मूल अधिनियम की धारा 339-च. के पश्चात् निम्नलिखित नयी धाराएं अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात् :— **नयी धाराएं 339-छ, 339-ज, 339-झ का अंत:स्थापन.**

"339-छ. **अवैध कालोनी निर्माण वाली भूमि का अधिहरण.**— अवैध कालोनी निर्माण के अधीन कालोनी निर्माण करने वाले व्यक्ति का भूमि में अधिकार, हक और हित, धारा 339-ङ की उप-धारा (2) के अधीन भूमि का प्रबंध ग्रहण करने की तारीख से नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत, जैसी भी स्थिति हो, में समस्त विल्लंगमों से मुक्त होकर अधिहृत और निहित हो जायेगा.

339-ज. **अवैध कालोनी निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही न करने के लिये दण्ड.—** मुख्य नगर पालिका अधिकारी के अधीनस्थ कोई अधिकारी या सेवक, जिसे उसके द्वारा किसी अवैध कालोनी निर्माण पर सन्निर्माण का, या तो निरीक्षण करने, रिपोर्ट देने, रोकने या हटाने के लिये प्राधिकृत किया गया है, जानबूझकर ऐसे अवैध कालोनी निर्माण या उसमें सन्निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही करने में चूक करता है या तत्काल समर्थन उपलब्ध नहीं कराता है तो वह सादा करावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा.

339-झ. **उपभोक्ताओं के प्रति कॉलोनी निर्माता (कालोनाईजर) का दायित्व.—**

(1) आवासीय कालोनी में, चाहे वह निर्मित हो चुकी हो, निर्माणाधीन हो अथवा निर्माण हेतु प्रस्तावित हो, भू-खण्ड/आवास सीधा अथवा किसी एजेंट के माध्यम से ऐसे एजेंट को चाहे जो संज्ञा दी गई हो, विक्रय हेतु विज्ञापित करने के पूर्व, प्रत्येक कालोनाईजर द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी के समक्ष उस ब्रोशर की प्रति प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें विक्रय हेतु प्रस्तावित भू-खंड/आवास/प्रकोष्ठ भवन का विवरण, विक्रय की शर्तें, भूमि पर कालोनाईजर का स्वामित्व, कालोनी हेतु आवश्यक विभिन्न अनुमति/अनुज्ञा प्राप्ति से संबंधित स्थिति तथा ऐसे अन्य संबंधित विवरण की जानकारी होगी.

(2) उप-धारा (1) की अपेक्षाओं का पालन न करने पर कालोनाईजर जुर्माने का दायी होगा, जिसकी गणना प्रति दिवस दोष हेतु 1,000/- रु. की दर से की जाएगी, जो न्यूनतम 25,000/- रु. के अध्याधीन होगी.

(3) क्रेता से भुगतान प्राप्त करने के पूर्व, चाहे वह सीधा प्राप्त कर रहा हो अथवा किसी एजेंट के माध्यम से, ऐसे एजेंट को चाहे जो भी संज्ञा दी गई हो, प्रत्येक कालोनाईजर क्रेता के साथ ऐसे प्ररूप में अनुबंध करेगा, जैसा कि विहित किया जाए.

(4) उप-धारा (3) की अपेक्षाओं का पालन न करने पर कालोनाईजर जुर्माने का दायी होगा, जो रु. 25,000/- तक का हो सकेगा.

(5) इस धारा के अंतर्गत मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति द्वारा जिला न्यायालय में, उसके लिए विहित रीति में अपील की जा सकेगी."

अधिनियम की धारा 345 का संशोधन.

17. मूल अधिनियम की धारा 345 की उप-धारा (2) में शब्द "संचालक नगरीय नियोजन एवं विकास" के स्थान पर शब्द "संभागीय आयुक्त" प्रतिस्थापित किया जाए.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

यह देखा गया है कि नगरपालिका क्षेत्रों में आवासीय कालोनियां अनियोजित तथा अनियंत्रित तरीके से विकसित की जा रही हैं इसलिये प्रभावी तरीके से कालोनियों का विकास तथा कालोनाईजरों के कृत्यों को नियंत्रित करने के लिये विशेष प्रावधानों की आवश्यकता है.

संभागीय आयुक्त का पद पुन: निर्मित हो जाने के कारण उन्हें पूर्व में प्राप्त अधिकारों को पुन: सौंपे जाने की आवश्यकता है.

नगरपालिकाओं के लेखा प्रणाली को युक्ति-युक्त बनाने के लिये वर्तमान लेखा प्रणाली को वैज्ञानिक प्रणाली में बदलने की आवश्यकता है.

नगरपालिकाओं के कार्यों में पारदर्शिता लाने सूचना का सार्वजनिक प्रकटीकरण संबंधी प्रावधानों के समावेश की आवश्यकता है.

इस कारण यह आवश्यक हो गया है कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) में संशोधन कर कुछेक ऐसे प्रावधान जोड़े जावें ताकि नगरीय निकायों द्वारा उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो.

यत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर

दिनांक 22 मार्च, 2011

राजेश मूणत
नगरीय प्रशासन मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की जिन धाराओं में संशोधन किया जाना है उनके सुसंगत उद्धरण—

* * * * * * * * * * * * * *

धारा (3) इस अधिनियम में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

उप-धारा (1) निर्धारण सूची (Assessment list) से नगरपालिका का वह निर्धारण रजिस्टर अभिप्रेत है जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार तैयार किया गया तथा बनाए रखा गया है और उसके अन्तर्गत उसका समनुषंगी कोई रजिस्टर भी है;

उप-धारा (5-ख) "कलेक्टर" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 16 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जिला कलेक्टर;

उप-धारा (10-ख) "संचालक" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास;

उप-धारा (16) "भूमि" (Land) के अन्तर्गत भूमि से उद्भूत होने वाले फायदे, गृह तथा भूबद्ध चीजें या भूबद्ध किसी चीज के साथ स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजें और ऐसी भूमि भी आती है जिस पर निर्माण किया जा रहा है या निर्माण किया गया है या जो जल से आच्छादित है;

उप-धारा (39) म. प्र. नगरपालिका संशोधन अधिनियम क्र. 12/1995 द्वारा विलुप्त.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 117. **बजट अनुदानों में परिवर्तन करने की परिषद् की शक्ति.**—परिषद् वित्तीय वर्ष के दौरान समय-समय पर, एक बजट अनुदान की रकम को या किसी ऐसी रकम के भाग को बजट प्राक्कलन के एक मुख्य शीर्ष से दूसरे मुख्य शीर्ष में अन्तरित कर सकेगी या किसी बजट-अनुदान की रकम में वृद्धि कर सकेगी या उक्त वर्ष के दौरान उद्भूत होने वाली किसी विशेष या अकल्पित आवश्यकता की पूर्ति के प्रयोजन के लिये अतिरिक्त बजट-अनुदान की व्यवस्था कर सकेगी किन्तु इस प्रकार से नहीं कि जिससे वर्ष की समाप्ति पर प्राक्कलित नगद अतिशेष उस सीमा से कम हो जाये जो धारा 116 की उप-धारा (3) के प्रथम परन्तुक के अधीन विहित की गई है.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 119. **लेखाओं का प्रकाशन.**—प्राप्तियों तथा व्यय के वार्षिक लेखे तथा बजट जब मंजूर हो जाएं जनता के नि:शुल्क निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे और देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा में प्रकाशित किये जाएंगे.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 120. **लेखाओं का त्रैमासिक संक्षिप्त विवरण.**—

(1) मुख्य नगरपालिका अधिकारी पूर्ववर्ती तिमाही की प्राप्तियों तथा व्ययों का त्रैमासिक संक्षिप्त विवरण तैयार करेगा और ऐसे संक्षिप्त विवरण की जांच विहित प्राधिकारी द्वारा की जाएगी.

(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार किए गए नगरपालिका के लेखाओं का संक्षिप्त विवरण परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

(3) परिषद् द्वारा लेखाओं की जांच किए जाने के प्रयोजनों के लिए परिषद् की पहुंच नगरपालिका के समस्त लेखाओं तक तथा उनसे संबंधित समस्त अभिलेखों तथा पत्रादि तक होगी और मुख्य नगरपालिका अधिकारी परिषद् को ऐसा स्पष्टीकरण देगा जिसकी मांग वह प्राप्तियों तथा व्यय के संबंध में करे.

(4) कोई भी पार्षद, अध्यक्ष की अनुज्ञा से तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी की उपस्थिति में, परिषद् का सम्मिलन होने के पूर्व दो दिन के भीतर परिषद् के उन लेखाओं से संबंधित किसी भी दस्तावेज का निरीक्षण कर सकेगा जिन पर उस सम्मिलन में विचार किया जाना हो.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 121. **नगरपालिका के लेखाओं का संपरीक्षा.**—

उप-धारा (1) छत्तीसगढ़ लोकल फण्ड आडिट एक्ट, 1933 (क्रमांक 9 सन् 1933) की धारा 3 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक परिषद् के वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षा उक्त अधिनियम के अध्यधीन की जाएगी और परिषद् ऐसी संपरीक्षा फीस का संदाय करने के लिए दायी होगी जिसे राज्य सरकार इस संबंध में समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे.

उप-धारा (2) उप-धारा (1) के अधीन परिषद् के वार्षिक लेखाओं की बाबत् संपरीक्षक की संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रतियां अध्यक्ष तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी के अतिरिक्त राज्य सरकार को या ऐसे अन्य प्राधिकारी को दी जायेंगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे.

उप-धारा (3) यदि उप-धारा (1) के अधीन परिषद् के लेखाओं की संपरीक्षा स्थानीय-निधि लेखा संपरीक्षा विभाग द्वारा नहीं की जाती है, तो परिषद् को यह विकल्प होगा कि वह राज्य सरकार की मंजूरी के अध्यधीन रहते हुए अपने लेखाओं की संपरीक्षा किसी बाह्य अभिकरण द्वारा कराए.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 122. **नगरपालिका के प्राधिकारियों द्वारा त्रुटियों का ठीक किया जाना तथा उस संबंध में रिपोर्ट का दिया जाना.**—

उप-धारा (1) यथास्थिति परिषद् या मुख्य नगरपालिका अधिकारी ऐसी त्रुटियों या अनियमितताओं को तुरन्त ठीक करेगा जो, यथास्थिति, विहित प्राधिकारी या स्थानीय-निधि लेखा-संपरीक्षा विभाग या किसी बाहरी लेखा संपरीक्षा अभिकरण द्वारा संसूचित क

जाए तथा संबंधित नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट संपरीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर राज्य सरकार को सीधे या राज्य सरकार द्वारा विहित प्राधिकारी की मार्फत भेजेगा:

परन्तु, यदि नगरपालिका प्राधिकारियों तथा विहित प्राधिकारी या स्थानीय-निधि लेखा-संपरीक्षा विभाग के बीच मतभेद हैं या यदि नगरपालिका प्राधिकारी उक्त तीन मास की कालावधि के भीतर किसी त्रुटि या अनियमितता को ठीक न करे, तो उक्त मामला ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी रीति में, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाए, राज्य सरकार को भेजा जाएगा और राज्य सरकार उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जिन्हें वह उचित समझे, राज्य सरकार के आदेश अन्तिम होंगे और नगरपालिका प्राधिकारी उनके अनुसार कार्रवाई करेंगे.

उप-धारा (2) यदि राज्य सरकार द्वारा उप-धारा (1) के अधीन किए गए आदेश द्वारा नियत की गई कालावधि के भीतर संबंधित नगर-पालिका प्राधिकारी ऐसे आदेश का पालन नहीं करता है, तो धारा 327 में अन्तर्विष्ट त्रुटियों संबंधी उपबन्ध समस्त आवश्यक उपान्तरणों सहित इस मामले में लागू हुए समझे जाएंगे और राज्य सरकार तदनुसार कार्य करेगी.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 307 **अध्यक्ष तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील.—**

उप-धारा (1) (ख) धारा 180 (1) तथा (2), 185, 191, 192, 194, 208, 220, 221, 223, 227, 242, 251 तथा 285 या उक्त धाराओं के प्रयोजन के लिए बनाए गए किन्हीं नियमों या उपविधियों के अधीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा जारी की गई किसी सूचना या दिए गए किसी आदेश या की गई अन्य कार्रवाई से या ऐसे नियमों या उपविधियों द्वारा अपील योग्य बनाए गए किसी आदेश से या कोई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा प्रदान करने या उसे प्रदान करने से इंकार करने के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील समिति को अपील कर सकेगा और ऐसी अपील, अपील समिति द्वारा विहित रीति में सुनी तथा निपटाई जाएगी.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 322 **निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण की शक्ति.—** (संचालक नगरीय नियोजन एवं विकास), कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी :—

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 323 **परिषद् के आदेशों आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति.—**

उप-धारा (1) यदि (संचालक, नगरीय नियोजन एवं विकास), कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की राय में परिषद् या उसकी किसी समिति या उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी के आदेश या संकल्प का निष्पादन या किसी भी कार्य का किया जाना, जो परिषद् द्वारा या उसके निमित्त किया ही जाने वाला है या किया जा रहा है, विधि या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के अनुरूप नहीं है, और परिषद् या लोक हितों के लिए अपायकर है, या लोक या व्यक्तियों के किसी वर्ग या निकाय को क्षति या क्षोभ कारक है या जिससे क्षति या क्षोभ होने की संभाव्यता है या उससे शांति भंग होने की सम्भाव्यता है तो वह अपने हस्ताक्षर से लिखित आदेश द्वारा ऐसे संकल्प या आदेश के निष्पादन को निलंबित कर सकेगा या ऐसे किसी कार्य के किए जाने का प्रतिषेध कर सकेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 331 **पुनरीक्षण की राज्य सरकार की शक्ति.—**

उप-धारा (1) (संचालक, नगरीय नियोजन एवं विकास), कलेक्टर, विहित प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा पारित किए गए किसी भी आदेश के ठीक होने, उसकी वैधता या औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन से राज्य सरकार संबंधित अभिलेखों को मंगा सकेगी और ऐसा करते समय यह निर्देश दे सकेगी कि अभिलेख की जांच होने तक ऐसा आदेश प्रास्थगित रखा जाए.

उप-धारा (2) अभिलेखों की जांच करने पर राज्य सरकार (संचालक, नगरीय नियोजन एवं विकास), कलेक्टर, विहित प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के आदेश को, उपान्तरित कर सकेगी या उलटा सकेगी जैसा वह उचित समझे.

परन्तु किसी भी आदेश में तब तक फेरफार नहीं किया जाएगा या उसे उलटा नहीं जाएगा जब तक उसमें हितबद्ध पक्षकारों को उपसंजात होने के लिए तथा ऐसे आदेश के समर्थन में सुने जाने के लिए सूचना नहीं दे दी गई है.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 332 **पुनर्विलोकन की शक्ति.—**

उप-धारा (1) राज्य सरकार या तो स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा आवेदन किया जाने पर उसके द्वारा पारित किए गए किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी और इसी प्रकार (संचालक, नगरीय नियोजन एवं विकास), कलेक्टर, विहित प्राधिकारी या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी उसके द्वारा पारित किए गए किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे:

* * * * * * * * * * * * * *

"बारहवां—ए अध्याय—कालोनी निर्माण" (COLONIZATION)

धारा 339-क **कालोनी निर्माण करने वाले का रजिस्ट्रीकरण.—**

उप-धारा (1) ऐसा कोई व्यक्ति जो नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत के क्षेत्र में किसी भूमि को भू-खण्ड में विभाजित करने के प्रयोजन के लिये उस क्षेत्र का विकास करते हुए या विकास न करते हुए कालोनी की स्थापना हाथ में लेने का आशय रखता है, ऐसे व्यक्तियों को जो इन भूखण्डों पर आवासीय या गैर आवासीय या संयुक्त आवास का निर्माण कर बसने की वांछा रखते हैं, क्रमशः या एक साथ अंतरण करता है या अंतरण करने का करार करता है, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिये उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) को आवेदन करेगा.

उप-धारा (2) उप-धारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) इस निमित्त बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए तीस दिन के भीतर या तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा या जारी करने से इंकार करेगा.

परन्तु यदि उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने से इंकार करता है तो इंकार करने के कारण आवेदक को सूचित किए जाएंगे.

उप-धारा (3) राज्य सरकार को, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के लिये नियम बनाने की शक्ति होगी जिनमें आवेदन का प्रारूप, रजिस्ट्रीकरण के लिये फीस की रकम तथा अन्य निर्बंधन तथा शर्तें विहित की जाएंगी.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 339-ख **कालोनियों का विकास.—**

उप-धारा (1) इस अधिनियम तथा इस निमित्त बनाएं गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए नगरपालिक क्षेत्र में कालोनियों का विकास हाथ में लेने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र कालोनी बनाने वाले को हकदार बनाएगा.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 339-ग **अवैध कालोनी निर्माण के लिए दण्ड.—**

उप-धारा (1) कालोनी निर्माण करने वाले कोई व्यक्ति, जो छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 172 के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करके किसी भूमि या उसके भाग को व्यपवर्तित करता है, वह भूमि के अवैध व्यपवर्तन का अपराध करता है.

उप-धारा (2) कालोनी निर्माण करने वाला कोई व्यक्ति, जो कालोनी स्थापित करने के उद्देश्य से, अपनी भूमि को या किसी अन्य व्यक्ति की भूमि को, इस अधिनियम या इस निमित्त बनाये गए नियमों में अनुध्यात अपेक्षाओं का भंग करके भू-खण्डों में विभाजित करता है, वह अवैध कालोनी निर्माण का अपराध करता है.

उप-धारा (3) जो कोई, अवैध व्यपवर्तन का या अवैध कालोनी निर्माण का अपराध करेगा या उसके किये जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह सादा कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या कम जुर्माने से, जो कम से कम दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा.

उप-धारा (4) जो कोई अवैध व्यपवर्तन की या अवैध कालोनी निर्माण के किसी क्षेत्र में कोई भवन सन्निर्मित करता है, वह अवैध संनिर्माण का अपराध करता है.

उप-धारा (5) जो कोई अवैध सन्निर्माण का अपराध करेगा, वह सादा कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो कम से कम एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 339-घ **अवैध सन्निर्माण के अपराध का दुष्प्रेरण करने के लिए दण्ड**— जो कोई अवैध व्यपवर्तन के या अवैध कालोनी निर्माण के किसी क्षेत्र में,—

(एक) भवन के सन्निर्माण के लिए अभिन्यास (ले-आउट) मंजूर करने या नक्शा मंजूर करने की शक्ति रखने वाला अधिकारी होते हुए ऐसा अभिन्यास या नक्शा मंजूर या अनुमोदित करेगा, या

(दो) ऐसा अधिकारी होते हुए जिसका प्राथमिक कर्तव्य ऐसा करना हो, ऐसे किसी क्षेत्र में भूमि के अवैध व्यपवर्तन की या किसी भवन के अवैध सन्निर्माण की रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी को करने का जानबूझकर लोप करेगा, या

(तीन) ऐसा अधिकारी या ऐसा कर्मचारी होते हुए जो ऐसे किसी क्षेत्र में भूमि के अवैध व्यपवर्तन के या भवन के अवैध सन्निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करने का उत्तरदायी है, कार्रवाई करने में असफल रहता है, या

(चार) विद्युत या जल प्रदाय संयोजन (कनैक्शन) मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकरण का अधिकारी होते हुए ऐसे किसी क्षेत्र में, के किसी भवन के संबंध में ऐसे संयोजन की मंजूरी देगा, या

(पांच) पूर्वोक्त अधिकारियों पर, ऐसी मंजूरी देने के लिए या भूमि के ऐसे अवैध व्यपवर्तन, की या ऐसे क्षेत्र में किसी भवन के संनिर्माण की रिपोर्ट करने का लोप करने के लिए, अवैध रूप से असर डालेगा, वह सादा कारावास से, जो छह माह तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा :

परन्तु खण्ड (चार) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार के अनुमोदन से उन मामलों में लागू होगी जहां मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रमाणित करता है कि अवैध व्यपवर्तन या अवैध कालोनियों के निर्माण क्षेत्र में भवन के संबंध में विद्युत या जल प्रदाय की व्यवस्था में लोकहित में कोई आपत्ति नहीं है.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 339-ङ **अवैध व्यपवर्तन के या अवैध कालोनी निर्माण के किसी क्षेत्र में के भूखण्डों के अंतरण का शून्य होना.—**

उप-धारा (1) छ. ग. भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कालोनी निर्माण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अवैध व्यपवर्तन के या अवैध कालोनी निर्माण के किसी क्षेत्र में भू-खण्डों का किया गया कोई अंतरण या अंतरण का कोई करार शून्य होगा.

उप-धारा (2) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पक्षकारों को कारण दर्शित करने हुए सूचना देने के पश्चात् उस भूमि का प्रबंध ग्रहण कर सकेगा, उस क्षेत्र के संबंध में योजना बनवाएगा तथा उसे विकसित कराएगा और उसके पश्चात् उस भूमि को अधिमन्यित: भू-धारकों के बीच ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि विहित किया जाए आवंटित करेगा.

उप-धारा (3) शर्तों की पूर्ति हो जाने पर, आवंटिती के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह कालोनी निर्माण करने वाले व्यक्ति की ओर से भू-खण्ड का विधिमान्य अन्तरिती है, और उस भू-खण्ड के प्रबंधक के रूप में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की शक्तियां समाप्त हो जाएगी.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 339-च **अवैध कालोनी निर्माण में अन्तर्ग्रस्त भूमि का अधिहरण.**—अवैध कालोनी निर्माण के अधीन भूमि में कालोनी निर्माण करने वाले व्यक्ति का अधिकार, हक या हित कालोनी निर्माण करने वाले व्यक्ति के धारा 292-ग की उप-धारा (3) के अधीन दोष सिद्ध ठहराये जाने पर अधिहृत हो जाएगा और समस्त विलंगमों (Encrumbrances) से मुक्त रूप से परिषद् में निहित हो जाएगा.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 345

उप-धारा (2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के द्वारा या अधीन (संचालक, नगरीय नियोजन एवं विकास), कलेक्टर या विहित प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियां अपने किसी भी अधीनस्थ अधिकारी को प्रदान कर सकेगी.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.